उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

पत्रांकः 589 से/2020–14से/अनु बस/2020 दिनांकः 29 मई, 2020

1.समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
2.समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त/डिपो)
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत् घोषित लॉकडाउन अवधि में शासन एवं जिला प्रशासन की मांग पर बस बेड़े में उपलब्ध (निगम एवं अनुबन्धित) बसों की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी बसों को अल्पकालिक अनुबन्ध के आधार पर आपातकालीन सेवाओं के रुप में उपयोग करने के सम्बन्ध में।

कोविड–19 संक्रमण की विषम परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आने वाले श्रमिकों, मजदूरों, नागरिकों के लिये प्रतिदिन औसतन 75–85 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों, मजदूरों की अधिक संख्या को देखते हुये जिला प्रशासन द्वारा अधिक बसों की तत्कालिक मांग के दृष्टिगत निगम के बस बेड़े में सम्मिलित अनुबन्धित बसों को भी आपातकालीन सेवाओं के रुप में संचालित किया गया है। श्रमिकों, मजदूरों की अधिक संख्या से बढ़ते हुये दबाव एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत् परिवहन निगम द्वारा निगम बसों की अनुलब्धता में जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध निजी बसों को भी आपातकालीन सेवा के रूप में संचालित कराया गया।

विषयांकित प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त आपातकालीन संचालन हेतु प्रयुक्त बसों के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी :–

1–निजी बस

i. निगम द्वारा विभिन्न सीट क्षमता की बसों हेतु निर्धारित भुगतान दर प्रति कि0मी0 के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा।
ii. निजी बसों के भुगतान का आगणन वास्तविक संचालित कि0मी0 के आधार पर किया जायेगा।
iii. परिवहन निगम द्वारा निजी बसों को निगम पम्प से उपलब्ध कराया गया डीजल को, विभिन्न सीट क्षमता की अनुबन्धित बसों हेतु निर्धारित डीजल मानक के अनुरुप अधिक दिये गये डीजल का समायोजन भुगतान से पूर्व किया जायेगा।
iv. निजी बसों का संचालन निगम एवं अनुबन्धित बसों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही आवश्यकता के दृष्टिगत् किया जायेगा तथा बीजक का भुगतान सम्परीक्षा उपरान्त किया जायेगा।

2–हाई एण्ड वातानुकूलित एवं स्लीपर बस

i. 2X2 वातानुकूलित अनुबन्धित बस (शताब्दी) के लिये निर्धारित भुगतान दर पर वास्तविक संचालित कि0मी0 पर भुगतान योग्य राशि आगणित की जायेगी।
ii. पूर्व की भांति इन बसों को डीजल निगम पम्प से उपलब्ध कराया जायेगा।
iii. हाई एण्ड वातानुकूलित बसों एवं स्लीपर बसों हेतु निर्धारित डीजल मानक से अधिक लिये गये डीजल का समायोजन भुगतान से पूर्व किया जायेगा।

अतएव कोविड–19 के दृष्टिगत् घोषित लॉकडाउन अवधि में आपातकालीन सेवाओं के रुप में संचालित निजी बस, हाई एण्ड वातानुकूलित अनुबन्धित एवं स्लीपर अनुबन्धित बस हेतु उपरोक्तवत् निर्धारित प्रकियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डा॰ राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा॰ राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक